न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 174 / 1991

वादीगण

1. किशोरसिंह पुत्र श्री आइदानसिंह के कायम मुकाम
   1 / 1 श्रीमती उगमकंवर पत्नी किशोरसिंह
   1 / 2 भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह
   1 / 3 गणपतसिंह पुत्र किशोरसिंह
   1 / 4 वलमकंवर पुत्री किशोरसिंह
   पत्नी गजेसिंह जाति राजूपूत निवासीयान अराबा हाल प्लोट नं. 45, 11वीं ए पाल रोड़ जोधपुर जिला जोधपुर
2. भेरूसिंह पुत्र आईदानसिंह के कायम मुकाम
   2 / 1 श्रीमती छगनकंवर पत्नी भेरूसिंह
   2 / 2 मूलसिंह पुत्र भेरूसिंह
   2 / 3 रूघनाथसिंह पुत्र भेरूसिंह
3. शेरसिंह पुत्र हमीरसिंह
4. राजूसिंह पुत्र हमीरसिंह के कायम मुकाम
   4 / 1 श्रीमती जनक कंवर पत्नी राजूसिंह
   4 / 2 उमरावकंवर पुत्री राजूसिंह जातियान राजपूत निवासीयान अराबा
5. श्रीमती एगमकंवर पत्नी हमीरसिंह
6. भंवरकंवर पुत्री हमीरसिंह
7. सगरकंवर पुत्री हमीरसिंह
8. पपूकंवर पुत्री हमीरसिंह फौत होने से नाम हटाया गया
9. ओमकंवर पुत्री हमीरसिंह
10. कैलाश कंवर पुत्री हमीरसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासीयान अराबा
    तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जोगसिंह पुत्र धनसिंह के कायम मुकाम
   1 / 1 श्रीमती रूकमोंकंवर पत्नी जोगसिंह
   1 / 2 श्रीमती विमलाकंवर पुत्री जोगसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र धनसिंह
3. पुखसिंह पुत्र धनसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकाम
   4 / 1 पदमसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4 / 2 गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4 / 3 अर्जुनसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4 / 4 सोहनसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4 / 5 नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4 / 6 श्रीमती अणचीदेवी पुत्री मोहनसिंह
   4 / 7 श्रीमती पुष्पाकंवर पुत्री मोहनसिंह
   4 / 8 श्रीमती रूपोकंवर पत्नी मोहनसिंह
   जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
5. विरदसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम
   5 / 1 भीमसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
6. केशरसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम
   6 / 1 शंकरसिंह पुत्र केशरसिंह
   6 / 2 चैनसिंह पुत्र केशरसिंह
   6 / 3 नरेशसिंह पुत्र केशरसिंह

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

6/4 किरणकंवर पुत्री केशरसिंह
6/5 ओमाकंवर पुत्री केशरसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह
8. लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकाम
8/1 रामसिंह पुत्र लालसिंह
8/2 घेवरसिंह पुत्र लालसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
9. सारोकंवर पत्नी धोकलसिंह फौत जिनके वारिसान रेकर्ड पर है
10. मूलसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकामः–
10/1 भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह
10/2 दलपतसिंह पुत्र मूलसिंह
10/3 हुकमसिंह पुत्र मूलसिंह
10/4 भूपसिंह पुत्र मूलसिंह
10/5 मदनसिंह पुत्र मूलसिंह
10/6 नैनसिंह पुत्र मूलसिंह
10/7 श्रीमती सायरीकंवर पत्नी मूलसिंह
10/8 गीताकंवर पुत्री मूलसिंह
10/9 सरियाकंवर पुत्री मूलसिंह
10/10 इन्द्रकंवर पुत्री मूलसिंह
11. डूंगरसिंह पुत्र धोकलसिंह
12. गोरधनसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकामः–
12/1 बाबूसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/2 जैसलसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/3 खेतसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/4 ओमीदेवी पत्नी गोरधनसिंह
जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
13. मुल्तानसिंह पुत्र धौकलसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
14. सुआकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी शिवसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी धोलेरिया तहसील
व जिला पाली कायम मुकाम रेकर्ड पर है
15. जीवाकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी रामकिशन पुरोहित निवासी हरियासर तहसील सरदार शहर जिला चुरू
16. सिमरथिसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकामः–
16/1 श्रीमती जमनादेवी पत्नी सिमरथसिंह
16/2 कानसिंह पुत्र सिमरथसिंह
17. केशरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकामः–
17/1 अमानसिंह पुत्र केशरसिंह
17/2 खीमसिंह पुत्र केशरसिंह
17/3 भीखसिंह पुत्र केशरसिंह
18. आनन्दसिंह पुत्र जोगसिंह के कायम मुकामः–
18/1 श्रीमती रूपकंवर पत्नी आनन्दसिंह
18/2 श्रीमती गुलाब कंवर पुत्री आनन्दसिंह
18/3 पदमसिंह पुत्र आनन्दसिंह
जातियान राजपुत निवासीयान अराबा
19. मूलसिंह पुत्र हेमसिंह
20. मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह
21. पुरखसिंह पुत्र हेमसिंह
22. भूरसिंह पुत्र हेमसिंह
23. कुमारी समन पुत्री हेमसिंह
24. कुमारी मोरकंवर हेमसिंह
जाति राजपूत निवासीयान अराबा तहसील कल्याणपुर
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री जेठाराम सिंहल अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री खुशहालाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

दिनांक 05.08.2022

निर्णय

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.08.1996 को वादीगण के वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित कर खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के यहां पर अपील संख्या 36/1996 अनवान किशोरसिंह बनाम जोगसिंह प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के पारित निर्णय दिनांक 19.07.2000 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.1996 को अपास्त किया जाकर पुन प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये गये इस न्यायालय में पेश व स्वीकार की गयी खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मानते हुए इस बिन्दु का पुनः परिक्षण कर निर्धारित करे कि जागीर को भू-प्रबन्ध से पूर्व ही रहन रखा गया है न कि खातेदारी की जमीन को व कब्जा व काश्त सेटलमेंट समय से चला आ रहा है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को गुणवगुणों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया।

वादीगण के वाद पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम असराबा दुदावता तहसील पचपदरा की सीमा मे स्थित खेत खसरा नं. 412 क्षेत्रफल 20 बीघा 16 विस्वा, खसरा नं. 398 क्षेत्रफल 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 150 क्षेत्रफल 53 बीघा 12 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 84 बीघा 19 विस्वा भूमि वादीगण की पीढियों से कब्जा काश्त सुद है प्रतिवादी गण सं. 1 से 11 व उनके पूर्वज ग्राम के भूत पूर्व जागीरदार थे जो वादीगण से हीसल लिया करते थे काश्त हमेशा से ही वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की ही चली आ रही हैं। प्रतिवादी गण सं. 1 से 11 के पूर्वजो ने अपनी जागीर वादीगण पूर्वजो को रहन रखी दी थी तब से वादीगण मुर्तहीन जागीर व विवादग्रस्त भूमि वादीगण की मुर्तहीन खुदकाश्त की भूमि थी इस प्रकार वादीगण की विवादग्रस्त भूमि के खुदकाश्त खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि के मालिकाना हक से सम्बधित एक उजरदारी न्याायलय श्री सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, पचपदरा के न्यायालय में चली थी जिसके मुकदमा सं. 157/1954 अंकित हुए थे जो उजरदारी विवाधक सं. 1 व 2 के निर्णय के लिये न्यायालय श्री व्यवहार न्यायालय बालोतरा को भू प्रबन्ध अधिकारी, बाडमेर के आदेश से भेजी गई थी।

व्यवहार न्यायालय में पक्षकारो के बीच दिनांक 30.08.56 को राजीनामा हो गया था जिस राजीनामें के अनुसार विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में मानी गई। राजीनामा तस्दीक होने के पश्चात मूल पत्रावली दिनांक 30.08.56 को व्यवहार न्यायालय [illegible] के पास भेजे जाने के आदेश प्रारित किये गये, इसके बाद उपरोक्त पत्रावली [illegible] अधिकारी, बाडमेर के पास भेजे जाने के आदेश प्रारित किये गये, इसके बाद उपरोक्त पत्रावली किसी प्रकार का कोई कार्यवाही होना नहीं पाया जाता है। उक्त [illegible] 15.07.76 के पूर्व पचपदरा, बाडमेर बालोतरा, भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में पता करने के पूर्ण प्रयास किया गया परन्तु पत्रावली प्राप्त नहीं हो सकि तब उप जिलाधिश, बालोतरा [illegible] पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब उप जिलाधीश ने वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित करने आदेश भी दिनांक 15.07.76 को दे दिये गयें। उपरोक्त राजीनामें के आधार पर तात्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा दिनांक 15.07.76 को वादीगण के नाम खातेंदारी में दर्ज करने आदेश को माननीय राजस्व मण्डल में यह मानते हुए की सक्षम न्यायालय की डिक्री के अभाव में इस प्रकार का

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था, उप जिलाधीश का आदेश दिनांक 15.07.76 बिना क्षेत्राधिकार को निरस्त कर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 08.05.84 को निरस्त कर दिया । तब वादीगण द्वारा उजरदारी की पत्रावली की पचपदरा , बालोतरा , बाड़मेर, व भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में तलाश किया परन्तु पूर्ण प्रयास के बाद भी पत्रावली का पता नहीं चला तब यह वाद घोषणा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त राजीनामें के अनुसार वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होना स्वयं ने मान लिया है व उक्त राजीनामे से प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से बाध्य भी है। जागीर समाप्ति के पश्चात वादीगण राज्य सरकार में लगान जमा करवाते आ रहे है, काश्त हमेंशा से वादीगण के नाम दर्ज होती आ रही है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 08.05.84 के द्वारा उप जिलाधीश, बालोतरा के आदेश दिनांक 15.07.76 को निरस्त करने के बाद प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रहे है जिस कारण स्थाई निषेधाज्ञा का भी वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 12 से 19 का नाम भू प्रबन्ध द्वारा जारी पटटे में आने के कारण परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण भू प्रबन्ध के समय वादीगण का नाम खातेंदारी में नहीं आने व दिनांक 08.05.84 के राजस्व मण्डल का निर्णय जिसमें खातेदारी के लिये सक्षम न्यायालय की डिक्री का जरूरी माना तब व दिनांक 30.10.85 को प्रतिवादीलगण सं. 1 से 11 ने विवाद ग्रस्त भूमि पर आईन्दा काश्त नहीं करने देने की धमकी दी तब ग्राम असराबा में पैदा हुआ। विवादग्रस्त भूमि ग्राम असराबा दुदावता तहसील पचपदरा की सीमा में स्थित है जिस कारण न्यायालय श्री को वाद सुनकर निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण को ग्राम असराबा दुदावता की सीमा में स्थित खेत खसरा नं. 412, 398, 150 का खातेदार घेषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की विघ्न न स्वयं पैदा करे व न अन्य से करावावे।

वादीगण का वाद दिनांक 28.11.1985 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावे में वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए पूर्व में राजीनामा करने से इनकार करते हुए वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खुदकाश्त की होना व्यक्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 से 19 की और से जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 26.07.1991 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। दौरान दावा [illegible] संख्या 1, 4, 5, 6, 8, 10,12, 16, 17, 18, के फौत होने पर उनके कायम [illegible] वारि[illegible] को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के निर्णयार्थ निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण ग्राम असराबा दूदावता के खेत खसरा नम्बर 412, 398, व 150 के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है? जिम्में वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है? जिम्में वादीगण
3. दादरसी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 सिविल न्यायालय बालोतरा में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.08.1956 की प्रति, प्रदर्श–2 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.05.1984, प्रदर्श– 3 नकल जमाबंदी तथा प्रदर्श –4 सिविल न्यायालय के दीवानी प्रकरण संख्या 331/55 ऑडरशीट दिनांक 30.08.56 की प्रतिलिपि, वादग्रस्त भूमि जमाबंदी नकले संवत 2011 से 2030 की खतौनियां प्रदर्श– 8से 12 प्रस्तुत की है। तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1. किशोरसिंह, पी.डब्ल्यू 2 भूरसिंह, पी.डब्ल्यू 3 हमीरसिंह, पी.डब्ल्यू 4 गेनसिंह, पी.डब्ल्यू 5 भंवरसिंह के बयान लिपिबद्ध करवाये गये है। प्रतिवादीगण की और से गवाहान की सूची प्रस्तुत की गई, लेकिन उनकी और से कोई साक्ष्य पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्षी प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं की गई। साक्षी प्रतिवादीगण का अवसर बंद किया गया।

विद्धवान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादीगण विवादित आराजी पर सेटलमेंट से पूर्व से आज तक लगातार काबिज है तथा बिना किसी रोक टोक के काश्त करते आ रहे है सेटलमेंट के समय किये गये इन्द्राजों पर वादीगण सेटलमेंट अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में कुछ विवाद्यकों के निस्तारण हेतु सिविल न्यायालय में प्रेषित किया गया था। वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेज सिविल न्यायालय के दीवानी प्रकरण संख्या 331/55 ऑडरशीट दिनांक 30.08.56 व सिविल न्यायालय बालोतरा में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.08.1956 के अनुसार वादीगण को खातेदार मान लिया गया था विवादित आराजी पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त है। अतः वादीगण को घोषित किया जावे। एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.05.1984 के अनुसार भी वादीगण खातेदारी अधिकारों की विधिवत घोषणा करवाने के हकदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी रहन पर रखी हुई थी, इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 ए (2) व 4 के प्रावधान लागू नहीं होते है। वादीगण सेटलमेंट से पूर्व से आदिनांक लगातार काबिज होने से एवं राजीनामें में प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि को वादीगण की होना स्वीकार किया गया। इसलिये वादीगण को खातेदार मान लिया गया था, वादीगण की और से आर.आर.डी 1977 पेज संख्या 612 रूपा बनाम गंगाधर न्यायिक द्रष्टान्त में पारित निर्णय दिनांक 29.08.1977 की प्रति वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत की गई। और दावा स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रतिवादीगण के विद्धवान अधिवक्ता ने मौखिक बहस करते हुए वादीगण की दलीलों का खण्डन करते हुए विवादित वादीगण के पास रहन होना व्यक्त किया गया। इसलिये वादीगण का वाद को खारिज किया जावे।

तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है कि क्या वे विवादित आराजी के खातेदार घोषित किये जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है, वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेज सिविल न्यायालय के दीवानी प्रकरण संख्या 331/55 ऑडरशीट दिनांक 30.08.56 व सिविल न्यायालय बालोतरा में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.08.1956 एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.05.198[illegible]कन से स्पष्ट है कि राजीनामें के अनुसार उसमें उल्लेखित खसरा नम्बरों पर अप्रार्थी[illegible] को प्र[illegible] द्वारा खातेदार मान लिया जाना अंकित किया गया और भू–प्रबंध रिकॉर्ड में उनके [illegible] इन्द्राज किया जाना भी प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया। राजीनामें में [illegible]कारान ने प्रार्थीगण जागीरदारान के मालकाना हक को स्वीकार किया था। राजीनामें अनुसार [illegible]र्थीगण प्रार्थीगण को भू–प्रबंध की दर से बिगोड़ी देते रहेगे और उनका कब्जा बतौर खातेदार कायम रहेगा। इस राजीनामें को सिविल जज बालोतरा ने दिनांक 30.08.1856 को तस्दीक किया और उसी दिन उन्होंने आदेश दिया कि राजीनामें के कारण अब पत्रावली में शामिल तनकी पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, अतः मिसल वापस भू–प्रबंध अधिकारी बाड़मेर को भेजी जावे। सिविल जज बालोतरा के निर्णय दिनांक 30.08.1956 की प्रति अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.07.1976

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

(S.D.O.)

([illegible] सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

को उप जिलाधीश बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सिविल कोर्ट के उक्त निर्णय एवं राजीनामें के अनुसार अप्राथीगण के हक में रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाया जावे। उप जिलाधीश बालोतरा ने सिविल कोर्ट बालोतरा के निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार, पचपदरा को प्रेषित कर निर्देश दिया कि जागीर समाप्त होने पश्चात विवादग्रस्त भूमि राज्य में निहित हो जाने से सभी अप्रार्थीगण के राजीनामें के अनुसार रिकार्ड में नाम दर्ज किये जावे। उक्त निर्देश की पालना में तहसीलदार पचपदरा के आदेश दिनांक 24.07.1976 के द्वारा यह निर्देशित किया कि राजीनामें के आधार पर नामान्तरकरण भरा जावे। तदानुसार अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोल जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा स्वीकृत किये गये। नामान्तरकरणों के विरूद्ध उप जिलाधीश बालोतरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उप जिलाधीश द्वारा अस्वीकार किया गया। उनके इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने आदेश दिनांक 31.05.1979 को अस्वीकार किया गया। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 31.05.1979 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अलमेर में निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 68/79 से 76/79 प्रस्तुत किये गये। जिसका एक साथ दिनांक 08.051934 को निर्णय में सिविल जज बालोतरा ने राजीनामें के आधार पर जो निर्णय दिया गया वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। समस्त वाद में तनकी पर निर्णय देना था, तत्पश्चात पत्रावली को भू–प्रबंध अधिकारी को ही इस केश में निर्णय दिया जाना माना था । सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री जारी नहीं करने से इस प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा के द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण त्रुटि पूर्ण थें इस सन्दर्भ में भू–प्रबन्ध अधिकारी को अंतिम निर्णय देना था। वादग्रस्त प्रदर्श– 3 नकल जमाबंदी तथा प्रदर्श –4 सिविल न्यायालय के दीवानी प्रकरण संख्या 331/55 ऑडरशीट दिनांक 30.08.56 की प्रतिलिपि, वादग्रस्त भूमि जमाबंदी नकले संवत 2011 से 2030 की खतौनियां प्रदर्श– 8 से 12 तथा मौखिक साक्ष्य में पी. डब्ल्यू 1. किशोरसिंह, यह बात सही है कि सेटलमेंट के वक्त जिसकी काश्त होती थी पट्टा उसी के नाम ही आता है, वक्त सेटलमेंट जमीन रहन थी। रहन हमारे पूर्वजों के पास वक्त सेटमेंट हमारे पूर्वजों ने रहन मुक्त नहीं की। सेटलमेंट के वक्त जमीन रहन थी इस वजह से हमारे नाम जमीन आयी। हमारा शुरू से ही हमारा ग्रव अराबा है। अराबा में हमारी भी जागीरी थी पी.डब्ल्यू 5 भंवरसिंह के बयान कलमबंद्ध करवाये गये। जिसमें यह कहना गलत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात रहननामा स्वतः खतम हो गया हो अजखुद कहा कि सिविल कोर्ट में हमारे पूर्वजों व प्रतिवादी के पूर्वजों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया था वह राजीनामा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले हो गया था। यह कहना गलत है कि मेरे पूर्वजों को रहन से कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की खुदकाश्त की भूमि हो एवं भूमि पर आज भी उनका कोई कब्जा हो।यह कहना गलत है कि राजस्व मण्डल में हमारे कोई अधिकार न होना मानते हुए नामान्तरकरण खारिज किया हो । यह कहनागलत है कि भूमि का स्वामित्व प्रतिवादीगण का माना हो। यह कहना गलत है कि सिविल कोर्ट में हुए राजीनामा में प्रतिवादीगण पार्टी नहीं होने से पाबन्द नहीं है। वादीगण की और से बहस के दौरान आर.आर.डी 1977 पेज संख्या 612 रूपा बनाम गंगाधर न्यायिक द्रष्टान्त में पारित निर्णय दिनांक 29.08.1977 में अभिव्यक्त किया गया है कि SHRI A.L. ROONGTA : MEMBER {ROOPA V/S GANGADHAR-(277)}

Revision No.171/Chittorgarh of 72, decided on 29th Aug, 1977.

Raj. Tenancy Act, Secs 43A & 183- Scope – Ptff. alleged that suit land, mortgaged to def. with possession long back and it stood redeemed by opration of law and prayed possession be got delivered to him – Main question to be determined was whether on commencement of R.T. Act, relationship of mortgagor and mortgagee subsisted between parties – Had it got extinguished earlier or later at any point of time, if not, did any period of limitation prescribed for the availability of relief, claimed o/s 43A(2)- Hence date on which initial mortage came into being , is relevant and no evidence on this point is barred by law – A.O. , not barred from considering any evidence , documentary or oral, deemed relevant by him – Old rev. record is by legel presumption correct unless conclusively proved otherwise.(Paras 6&7)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(... सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त स्पष्ट रूप से छाया होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण ने बखुबि साबित किया गया है, तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष निर्णीत की जाती है।

वादीगण की और से दिनांक 01 जून 2002 को दैनिक भास्कर अखबार में प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावार कायमी तकीहात का प्रकाशन भी करवाया गया। जिसमें 17 जून2002 को तारीख पेशी मुकरर की गई। परन्तु प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4(4) के तहत प्रावधान के अनुसार वादीगण को ऐसे प्रतिवादीगण के जो लिखित कथन फाईल करने में असफल रहा है, जो उसे फाइल कर देने पर सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकता है, और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानों वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो। वाद पत्र संख्या 174/1991 काफी पुराना जिसका निस्तारण किया जा रहा है, प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा हस्तगत वाद में किसी पक्षकार की मृत्यु होने की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार कर ग्राम असराबा दुदावता तहसील कल्याणपुर की सीमा में स्थित खेत खसरा नं. 412 क्षेत्रफल 20 बीघा 16 विस्वा , खसरा नं. 398 क्षेत्रफल 10 बीघा 11 विस्वा , खसरा नं. 150 क्षेत्रफल 53 बीघा 12 विस्वा कुल क्षेत्रफल 84 बीघा 19 विस्वा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते है। वादीगण के कब्जे व काश्त में प्रतिवादीगण दखलदांजी नहीं करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) असोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) असोतरा

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) असोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 174/1991

वादीगण

1. किशोरसिंह पुत्र श्री आइदानसिंह के कायम मुकाम
   1./1 श्रीमती उगमकंवर पत्नी किशोरसिंह
   1/2 भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह
   1/3 गणपतसिंह पुत्र किशोरसिंह
   1/4 वलमकंवर पुत्री किशोरसिंह
   पत्नी गजेसिंह जाति राजूपूत निवासीयान अराबा हाल प्लोट नं. 45, 11वीं ए पाल रोड़
   जोधपुर जिला जोधपुर
2. भेरूसिंह पुत्र आईदानसिंह के कायम मुकाम
   2/1 श्रीमती छगनकंवर पत्नी भेरूसिंह
   2/2 मूलसिंह पुत्र भेरूसिंह
   2/3 रूघनाथसिंह पुत्र भेरूसिंह
3. शेरसिंह पुत्र हमीरसिंह
4. राजूसिंह पुत्र हमीरसिंह के कायम मुकाम
   4/1 श्रीमती जनक कंवर पत्नी राजूसिंह
   4/2 उमरावकंवर पुत्री राजूसिंह जातियान राजपूत निवासीयान अराबा
5. श्रीमती एगमकंवर पत्नी हमीरसिंह
6. भंवरकंवर पुत्री हमीरसिंह
7. सगरकंवर पुत्री हमीरसिंह
8. पपूकंवर पुत्री हमीरसिंह फौत होने से नाम हटाया गया
9. ओमकंवर पुत्री हमीरसिंह
10. कैलाश कंवर पुत्री हमीरसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासीयान अराबा
    तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जोगसिंह पुत्र धनसिंह के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती रूकमोंकंवर पत्नी जोगसिंह
   1/2 श्रीमती विमलाकंवर पुत्री जोगसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र धनसिंह
3. पुखसिंह पुत्र धनसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकाम
   4/1 पदमसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4/2 गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4/3 अर्जुनसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4/4 सोहनसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4/5 नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह
   4/6 श्रीमती अणचीदेवी पुत्री मोहनसिंह
   4/7 श्रीमती पुष्पाकंवर पुत्री मोहनसिंह
   4/8 श्रीमती रूपोकंवर पत्नी मोहनसिंह
   जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
5. विरदसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम
   5/1 भीमसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
   केशरसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

6/1 शंकरसिंह पुत्र केशरसिंह
6/2 चैनसिंह पुत्र केशरसिंह
6/3 नरेशसिंह पुत्र केशरसिंह
6/4 किरणकंवर पुत्री केशरसिंह
6/5 ओमाकंवर पुत्री केशरसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह
8. लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकाम
8/1 रामसिंह पुत्र लालसिंह
8/2 घेवरसिंह पुत्र लालसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
9. सारोकंवर पत्नी धोकलसिंह फौत जिनके वारिसान रेकर्ड पर है
10. मूलसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकामः–
10/1 भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह
10/2 दलपतसिंह पुत्र मूलसिंह
10/3 हुकमसिंह पुत्र मूलसिंह
10/4 भूपसिंह पुत्र मूलसिंह
10/5 मदनसिंह पुत्र मूलसिंह
10/6 नैनसिंह पुत्र मूलसिंह
10/7 श्रीमती सायरीकंवर पत्नी मूलसिंह
10/8 गीताकंवर पुत्री मूलसिंह
10/9 सरियाकंवर पुत्री मूलसिंह
10/10 इन्द्रकंवर पुत्री मूलसिंह
11. डूंगरसिंह पुत्र धोकलसिंह
12. गोरधनसिंह पुत्र धोकलसिंह के कायम मुकामः–
12/1 बाबूसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/2 जैसलसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/3 खेतसिंह पुत्र गोरधनसिंह
12/4 ओमीदेवी पत्नी गोरधनसिंह
जातियान राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
13. मुल्तानसिंह पुत्र धौकलसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान अराबा दूदावतान
14. सुआकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी शिवसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी धोलेरिया तहसील
व जिला पाली कायम मुकाम रेकर्ड पर है
15. जीवाकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी रामकिशन पुरोहित निवासी हरियासर तहसील सरदार शहर जिला चुरू
16. सिमरथिसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकामः–
16/1 श्रीमती जमनादेवी पत्नी सिमरथसिंह
16/2 कानसिंह पुत्र सिमरथसिंह
17. केशरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के कायम मुकामः–
17/1 अमानसिंह पुत्र केशरसिंह
17/2 खीमसिंह पुत्र केशरसिंह
17/3 भीखसिंह पुत्र केशरसिंह
18. आनन्दसिंह पुत्र जोगसिंह के कायम मुकामः–
18/1 श्रीमती रूपकंवर पत्नी आनन्दसिंह
18/2 श्रीमती गुलाब कंवर पुत्री आनन्दसिंह
18/3 पदमसिंह पुत्र आनन्दसिंह
जातियान राजपुत निवासीयान अराबा
19. मूलसिंह पुत्र हेमसिंह
20. मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह
21. पुरखसिंह पुत्र हेमसिंह
22. मूरसिंह पुत्र हेमसिंह
23. कुमारी समन पुत्री हेमसिंह
24. कुमारी मोरकंवर हेमसिंह
जाति राजपूत निवासीयान अराबा तहसील कल्याणपुर
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कलयाणपुर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:00 IST
Reason: SelfAttested